

एसएसए के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सनदी लेखाकार कम्पनियों का चयन

.....राज्य द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के लेखाओं की लेखापरीक्षा के निमित्त नियुक्ति के लिए छंटाई के बाद सूची तैयार करने के लिए संलग्न विचारार्थ विषयों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सनदी लेखाकार कम्पनियों (एक पूर्णकालिक एफसीए सहित भागीदारी/एकल स्वामित्व कम्पनियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

1. निर्धारित प्रपत्र में रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अन्तिम तारीख..... है। अधूरे आवेदनपत्र/निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. पूर्णकालिक भागीदार/सीए कार्मिक में ऐसे निम्न व्यक्ति (भागीदार/एकल) शामिल नहीं है जोकि
 - (i) दूसरी कम्पनियों में भागीदार हैं
 - (ii) अन्यत्र अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हैं, स्वयं अपने नाम से अथवा अन्यथा व्यवसाय करते हैं या किसी ऐसे अन्य क्रियाकलाप में नियुक्त हैं जोकि सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के अधीन व्यवसाय समझा जाएगा।
 - (iii) ऐसे भागीदार हैं जिन्होंने कम्पनी से अपनी आय की तुलना में अन्य स्रोतों से अधिक व्यावसायिक आय अर्जित की है।

इसी प्रकार पूर्णकालिक एकल स्वामी में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी अन्य कम्पनी में भागीदार है अथवा अन्यत्र नियुक्त है अथवा ऊपर बताए अनुसार किसी कारोबार/क्रियाकलाप में अन्यथा नियुक्त है। तदनुसार ऐसा व्यक्ति जोकि दूसरी कम्पनी में भागीदार/कर्मचारी है उसे एकल स्वामी की हैसियत से आवेदन नहीं करना चाहिए।

3. रुचि की अभिव्यक्ति संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दी जानी अनिवार्य है। केवल अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र में प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति पर ही विचार किया जाएगा।
4. सभी कम्पनियों को रुचि की अभिव्यक्ति के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने चाहिए:
 - (i) आईसीएआई द्वारा जारी गठन प्रमाणपत्र की एक प्रति जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्न शामिल हो
 - (क) एक पूर्णकालिक एफसीए सहित कम्पनी की स्थापना की तारीख
 - (ख) संगत वर्ष की 1 जनवरी को भागीदारों/एकल स्वामी/सीए कार्मिकों के ब्यौरे, कम्पनी में कार्यभार संभालने की तारीख, एफसीए बनने की तारीख, उनके अन्य हित, यदि कोई हो तो।
 - (ii) साझेदारी कम्पनियों के मामले में सबसे हाल का साझेदारी दस्तावेज।
 - (iii) कम्पनी तथा सभी पूर्णकालिक भागीदारों/एकल स्वामी की संगत कर निर्धारण वर्ष.....के सम्बन्ध में आयकर विवरणी की पावती की प्रति तथा पूर्णकालिक भागीदारों/एकल स्वामी की आय की गणना की एक प्रति।

टिप्पणी: जो पूर्णकालिक भागीदार संगत वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद कम्पनी में कार्यभार संभालते हैं तथा इस अवधि को या उसके बाद गठित कम्पनियों को अपनी आयकर विवरणी/गणना विवरण की सबसे बाद की उपलब्ध पावती भेजनी चाहिए।

- (iv) पिछले वित्तीय वर्ष.....से सम्बन्धित अनुसूचियों सहित कम्पनी के वित्तीय विवरण की एक प्रति।
- (v) कम्पनी के विरुद्ध लम्बित न्यायालय मामलों/विवाचन मामलों/अथवा किसी अन्य मामले के ब्यौरे

5. कम्पनी का पिछले पांच वर्षों का लेखापरीक्षा अनुभव निम्न प्रपत्र में (केवल ऐसे लेखापरीक्षा कार्यो का उल्लेख किया जाए जिनमें 25000/- रुपये या इससे अधिक की फीस प्राप्त हुई हो)

क्षेत्र/क्षेत्रक का नाम	लेखापरीक्षित कम्पनी/निकाय का नाम	लेखापरीक्षा के वर्ष जैसे कि	प्रत्येक लेखापरीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष ली गई फीस	लेखापरीक्षा कार्य की प्रकृति अर्थात् सांविधिक लेखापरीक्षा/ अथवा शाखा लेखापरीक्षा	विशेष लेखापरीक्षा कार्य की प्रकृति	उस पूर्णकालिक भागीदार का नाम जिसने लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण किया अथवा वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर किए और जो अभी भी कम्पनी में सेवारत है
(क)	सोसायटी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय	(क) 2002-03 (ख) 2001-02				
(ख)	निजी क्षेत्र में कम्पनियां	(ग) 2000-01				
(ग)	सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रम/परियोजनाएं	(घ) 1999-00 (ड.) 1998-99				
(घ)	विदेशों द्वारा सहायताप्राप्त सामाजिक क्षेत्र परियोजनाएं					
(ड.)	शिक्षा परियोजनाएं कार्यक्रम					

6. रुचि की अभिव्यक्ति अनिवार्यतः डाक द्वारा (सीलबन्द लिफाफे में)/अथवा दस्ती तौर पर राज्य परियोजना निदेशक, एसएसए.....के कार्यालय में पहुंचाई जानी चाहिए। रुचि की अभिव्यक्ति अनिवार्यतः इस पते पर भेजी जानी चाहिए:

राज्य परियोजना निदेशक

सर्व शिक्षा अभियान

7. ऐसी कम्पनियों को, जो मानक लेखापरीक्षा परिपाटियों (एसएपी 17) के विवरणों में यथानिर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और कार्यविधियों को कार्यान्वित कर रही हैं, भारिता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए कम्पनियों द्वारा अपनाई गई क्रियाविधियों के बारे में उन्हें एक संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न करनी चाहिए (कृपया रुचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र की क्रम संख्या 12 देखें)।

8. कृपया बताएं

निम्न की लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा अर्जित विशेषज्ञता

- (i) ईडीपी प्रणालियां
- (ii) आईटी समर्थित लेखापरीक्षा

(iii) की गई कोई अन्य महत्वपूर्ण विशिष्ट लेखापरीक्षा--निम्न प्रपत्र में

क्रम संख्या	विशेषज्ञता का वर्णन	यदि लेखापरीक्षा से इतर हो तो कार्य की प्रकृति का वर्णन करे	संगठन का नाम	भागीदार/एकल स्वामी का नाम जिसने यह कार्य संभाला	क्या उल्लिखित भागीदार/एकल स्वामी अभी भी कम्पनी में मौजूद है (हां/नहीं)

9. सभी पूर्णकालिक भागीदारों/एकल स्वामी को रुचि की अभिव्यक्ति के खण्ड बी के रूप में संलग्न प्रतिज्ञा पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करने चाहिए। इसी प्रकार कम्पनी के सभी पूर्णकालिक सनदी लेखाकार कार्मिकों को इस प्रपत्र के संलग्नक ए-3 में दिए गए खाने में हस्ताक्षर करने चाहिए।

एसएसए के लेखाओं की लेखापरीक्षा के निमित्त सनदी लेखाकार कम्पनियों की छंटाई के बाद संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

कम्पनी का दर्जा _____ भागीदारी एकल स्वामित्व

1. (क) कम्पनी का नाम (बड़े अक्षरों में) _____
- (ख) मुख्यालय का पता (कृपया टेलीफोन नम्बर और ई-मेल पता भी निर्दिष्ट करें) _____
- (ग) कम्पनी की पैन संख्या _____
2. आईसीएआई पंजीकरण संख्या.....क्षेत्र का नाम.....क्षेत्र कोड संख्या.....
3. (क) कम्पनी के गठन की तारीख _____
- (ख) तारीख जिससे कम्पनी में एक पूर्णकालिक एफसीए कार्यरत है। _____

4. 1.1.2003 (कृपया संलग्नक ए-1 भरें) की स्थिति के अनुसार पूर्णकालिक भागीदारों/एकल स्वामी

क्रम संख्या	कम्पनी के साथ निरन्तर सहयोजन के वर्ष	एफसीए की संख्या	एसीए की संख्या
(क)	एक वर्ष से कम		
(ख)	एक वर्ष या अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम		
(ग)	5 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम		
(घ)	10 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम		
(ङ.)	15 वर्ष या इससे अधिक		

5. 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार अंशकालिक भागीदारों की संख्या यदि कोई हों तो (कृपया संलग्नक ए-2 भरें) _____
6. 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार पूर्णकालिक सनदी लेखाकार कार्मिकों की संख्या (कृपया संलग्नक ए-3 भरें) _____
7. कम्पनी में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त लेखापरीक्षा स्टाफ
 - (क) आर्टिकल/लेखापरीक्षा लिपिक _____
 - (ख) अन्य लेखापरीक्षा स्टाफ (हिसाब-किताब और लेखांकन के ज्ञान सहित) _____
 - (ग) अन्य व्यावसायिक स्टाफ (कृपया खुलासा करें) _____
8. शाखाओं की संख्या (कृपया संलग्नक-बी भरें) _____
9. निम्न के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा अप्रैल 1998 से मार्च 2003 तक अर्जित फीस

	पीएसयू/स्वायत्त निकाय	निजी क्षेत्र में बैंक कम्पनियां
--	-----------------------	---------------------------------

 - (i) सांविधिक/शाखा लेखापरीक्षा/छमाही लेखापरीक्षा समीक्षा
 - (ii) आन्तरिक/समवर्ती लेखापरीक्षा उपर्युक्त (i) और (ii) का योग

10. क्या कम्पनी किसी आन्तरिक/समवर्ती लेखापरीक्षा अथवा किन्हीं अन्य सरकारी कम्पनियों/निगमों की किन्हीं अन्य सेवाओं में प्रवृत्त है? यदि हां तो उसके ब्यौरे संलग्नक 'सी' में दिए जाएं हां/नहीं
11. क्या कम्पनी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लेखापरीक्षाएं मानक लेखापरीक्षा परिपाटियों (एसएपी 17) सम्बन्धी विवरण के अनुसार आयोजित की जाती हैं तैयार की गई गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और क्रियाविधियों को कार्यान्वित कर रही है? हां/नहीं
(यदि हां तो अपनाई गई क्रियाविधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें)
12. क्या कम्पनी के खिलाफ कोई न्यायालयी मामले/विवाचन/कोई अन्य कानूनी मामला लम्बित है? (यदि हां तो मामले की मौजूदा स्थिति दर्शाते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें) हां/नहीं

खण्ड -बी

घोषणा पत्र

मैं/हम जो मेसर्स.....सनदी लेखाकार का एकल स्वामी/निम्न भागीदार हूँ/हैं, संयुक्त रूप से तथा गंभीरतापूर्वक इस बात की तसदीक और घोषणा करता हूँ/करते हैं

- (i) कि दिए गए ब्यौरे पूर्ण और सही है और यदि आवेदनपत्र में किया गया कोई भी कथन अथवा दी गई जानकारी बाद में गलत या मिथ्या पाई जाती है अथवा यदि कोई सारवान तथ्य छिपाया गया है तो कम्पनी केवल यही नहीं कि आबंटन के लिए अयोग्य करार कर दी जाएगी बल्कि उसके विरुद्ध सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी;
- (ii) कि कम्पनी, स्वामी अथवा भागीदारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आईसीएआई द्वारा न तो विवर्जित किया गया है न उसे चेतावनी दी गई है (यदि विवर्जित किया गया है तो ब्यौरे प्रस्तुत करें)।
- (iii) कि व्यक्तिगत रूप से हम अन्यथा व्यवसाय में या अन्य ऐसे किसी क्रियाकलाप में प्रवृत्त नहीं हैं जिसे सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के अधीन व्यवसाय समझा जाएगा;
- (iv) कि संगत वर्ष की पहली जनवरी को कम्पनी का जो गठन रुचि की अभिव्यक्ति में दर्शाया गया है वह वही है जो कि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट है।

क्रम संख्या	भागीदार/एकल स्वामी का नाम	सदस्यता पंजीकरण संख्या	पैन संख्या	संगत वर्ष..... के लिए ए/बी* के निमित्त फीस के भुगतान की तारीखें	भागीदार/एकल स्वामी के हस्ताक्षर

(कम्पनी की मोहर)

* ए सदस्यता के लिए

बी व्यवसाय का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए

स्थान:

तारीख:

संलग्न:.....पृष्ठ

केवल कार्यालयी प्रयोग के लिए

क्या कम्पनी ने

(क) सांविधिक/शाखा लेखापरीक्षा की है

(ख) आन्तरिक/समवर्ती लेखापरीक्षा की है

हां/नहीं

द्वारा जांच की गई

द्वारा सत्यापित

द्वारा तारीख को अद्यतन बनाया गया

(संलग्नक ए-1)

1. कम्पनी का नाम.....

कम्पनी के पूर्णकालिक भागीदारों/एकल स्वामी के ब्यौरे (कृपया रुचि अभिव्यक्ति के प्रपत्र का क्रम संख्या 5 देखें)

क्रम संख्या	भागीदार/एकल स्वामी का नाम	सदस्यता संख्या	क्या एफसीए/एसीए है	कम्पनी में कार्यभार संभालने की तारीख	एफसीए बनने की तारीख	रहने का मौजूदा स्थान और क्षेत्र	क्या संगत वर्ष..... की आयकर विवरणी की पावती संलग्न की गई है हां/नहीं	क्या आईएसए (सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा/सीआईएसए या अन्य कोई समकक्ष अर्हता है (अर्हता का खुलासा करें)*

* यदि हां तो प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें

(संलग्नक ए-2)

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	क्या एफसीए/एसीए है	एफसीए बनने की तारीख	भागीदारी शुरू करने की तारीख	दूसरी कम्पनियां जिनमें वह भागीदार है	क्या अपने नाम से भी व्यवसाय कर रहा है (हां/नहीं)	क्या अन्यत्र नौकरी में लगा है (हां/नहीं)	क्या आईएसए (सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा/सीआईएसए या अन्य कोई समकक्ष अर्हता है (अर्हता का खुलासा करें)*

* यदि हां तो प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें

(संलग्नक ए-3)

पूर्णकालिक सनदी लेखाकार कार्मिकों के ब्यौरे (कृपया रुचि अभिव्यक्ति के प्रपत्र की क्रम संख्या 7 देखें)

क्रम संख्या	नाम	सदस्यता संख्या	क्या एफसीए/एसीए है	पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में कम्पनी में कार्यभार संभालने की तारीख	क्या आईएसए (सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा/ सीआईएसए या अन्य कोई समकक्ष अर्हता है (अर्हता का खुलासा करें)*	कर्मचारी के हस्ताक्षर

* यदि हां तो प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें

(संलग्नक ए-4)

कम्पनी के भागीदारों तथा पूर्णकालिक सनदी लेखाकार कार्मिकों के ब्यौरे जिन्हें इस वर्ष उपर्युक्त संलग्नक ए-1, ए-2 तथा ए-3 में शामिल किया गया है।

क्रम संख्या	नाम	सदस्यता संख्या	क्या पूर्णकालिक/अंशकालिक भागीदार/पूर्णकालिक सीए कार्मिक है

(संलग्नक बी)

शाखाओं के ब्यौरे (विदेशी शाखाओं सहित यदि कोई हों तो)

क्रम संख्या	स्थान जहां पर स्थित है	पिन कोड तथा टेलीफोन नम्बर सहित पूरा पता	शाखा के प्रभारी भागीदार का नाम	शाखा खोलने की तारीख	क्षेत्र	क्या पिछले वर्ष के आवेदनपत्र में शामिल किया गया था (हां/नहीं)

(संलग्नक सी)

कम्पनी के पास सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम का आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य/कोई अन्य लेखांकन कार्य है (कृपया रुचि अभिव्यक्ति का क्रम संख्या 11 देखें)

क्रम संख्या	पीएसयू/यूनिट का नाम	कार्य की प्रकृति	वर्ष जिसके लिए नियुक्ति की गई है

सर्व शिक्षा अभियान

.....वर्ष के लिए.....राज्य के एसएसए के लेखाओं की लेखापरीक्षा के निमित्त सनदी लेखाकार कम्पनी की नियुक्ति के लिए विचारार्थ विषय (वित्तीय लेखापरीक्षा)

पृष्ठभूमि

.....एक पंजीकृत सोसायटी है जोकि.....राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) नामक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच निधियों की हिस्सेदारी..... के अनुपात में है।

उद्देश्य

कार्यक्रम लेखाओं (कार्यक्रम वित्तीय विवरण {पीएफएस}) की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह है कि लेखापरीक्षक को प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के अन्त में एसएसए कार्यक्रम को वित्तीय स्थिति तथा कार्यक्रम वित्तीय विवरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसारको समाप्त लेखांकन अवधि के लिए प्राप्त और खर्च की गई निधियों की बाबत एक व्यावसायिक मत व्यक्त करने के योग्य बनाया जा सके।

कार्यकारी लेखे (लेखा बहियां) पीएफएस तैयार करने का आधार उपलब्ध कराते हैं औरपरियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिस रूप में परियोजना चलाई जा रही है उसके सम्बन्ध में वित्तीय लेनदेन व्यक्त करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

अधिकारक्षेत्र

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों में से वार्षिक कार्ययोजना और बजट में अनुमोदित विभिन्न क्रियाकलापों पर कार्यक्रम लागत के भीतर रहते हुए खर्च किया जाता है। विभिन्न क्रियाकलापों के अधीन वस्तुतः खर्च की गई राशि पर आधारित व्यय का एक विवरण भारत सरकार को भेजा जाता है। सीए कम्पनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लेखा अभिलेखों की आन्तरिक जांचों तथा नियंत्रण की जांच करेगी तथा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के लेखापरीक्षा के सामान्य सिद्धान्तों और मानकों के अनुसार लेखाओं की अन्य अपेक्षित लेखापरीक्षा करेंगे। लेखापरीक्षा करते समय निम्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा:

- (क) सभी निधियों का प्रयोग संगत वित्तीय मानदण्डों और वित्तीय विनियमों की स्थिति के अनुसार किफायत और प्रभाविता की ओर समुचित ध्यान देते हुए तथा उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वित्तपोषण की व्यवस्था की गई थी।
- (ख) एसएसए के अधीन खर्चा करने के लिए अधिकृत सभी निकायों द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है।
- (ग) वित्तपोषित माल, निर्माण कार्य और सेवाएं इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के संगत प्रावधानों के अनुसार अधिप्राप्त की गई है। क्रय आदेशों, निविदा दस्तावेजों, बीजकों, वाउचरों, रसीदों, वेतन चिट्ठों, टीए बिल आदि जैसे समुचित दस्तावेज रखे जाते हैं और लेनदेन के साथ जोड़े जाते हैं तथा कार्यक्रम के अन्त तक रखे जाते हैं।

- (घ) व्यय विवरण में शामिल व्यय सहित सभी कार्यक्रम व्यय के सम्बन्ध में सभी आवश्यक समर्थनकारी दस्तावेज, रिकार्ड और लेखे रखे गए हैं। लेखा बहियों और भारत सरकार तथा राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्टों के बीच सुस्पष्ट तालमेल होना चाहिए।
- (ङ) एसएसए के अधीन किया गया खर्च नितान्ततः एसएसए कार्यतंत्र में निर्धारित वित्तीय मानदण्डों अथवा समय-समय पर जारी अन्य स्पष्टीकरणों के अनुसार है। संगत अवधि के व्यय के विवरण में शामिल व्यय विवरण/वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रचालनों की तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संसाधनों और व्यय की एक सच्ची और निष्पक्ष तसवीर प्रस्तुत करते हैं।
- (च) खर्च, पीएबी द्वारा यथा अनुमोदित बजट आबंटन के सन्दर्भ में किया जाता है। यदि खर्च बजट आबंटन से बढ़ गया है तो सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित पुनर्विनियोजन प्राप्त किया गया है।
- (छ) एसएसए निधियों का प्रयोग प्रभावी और किफायती रूप से उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।
- (ज) बैंक विवरणों और लेखों का समायोजन मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।
- (झ) लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त सीए कम्पनी को पिछली लेखापरीक्षा आपत्तियों के लेखापरीक्षा अनुपालन की स्थिति की भी जांच करनी चाहिए।
- (ञ) लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त सीए कम्पनी को लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा समय-समय यथाअपेक्षित कोई अन्य प्रमाणपत्र भी देना चाहिए।
- (ट) लेखापरीक्षा में राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, सभी जिला परियोजना कार्यालयों और नमूने के बीआरसी, सीआरसी, स्कूलों/वीईसी के लेखे जोकि जिले की प्रतिनिधि प्रकृति के होंगे शामिल होने चाहिए।

कार्यक्रम वित्तीय विवरण

कार्यक्रम वित्तीय विवरण में निम्न शामिल होने चाहिए:

- (क) भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त निधियों का सार अलग-अलग रूप में;
- (ख) अलग से प्रोद्भूत होने वाली कोई अन्य प्राप्ति;
- (ग) चालू वित्तीय वर्ष तथा आज की तारीख तक संचित रूप में--दोनों के लिए प्रमुख कार्यक्रम शीर्ष के अधीन दर्शाए गए व्यय का सार; तथा
- (घ) कार्यक्रम की संचित निधियां, बैंक शेष, कार्यक्रम की अन्य परिसम्पत्तियां और देयताएं, यदि कोई हों तो दर्शाने वाला तुलन-पत्र।

लेखापरीक्षा का मत

लेखापरीक्षा के मूल मत में कार्यक्रम के वित्तीय विवरण और कार्यक्रम लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरण राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को लेखापरीक्षा से सम्बन्धित लेखांकन अवधि की समाप्ति के अधिक से अधिक (तीन से छः) महीनों के भीतर प्राप्त होनी चाहिए। लेखापरीक्षक को काफी पहले सोसायटी के एसपीडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जोकि लेखाओं

की लेखापरीक्षा की दो प्रतियां तैयार कराने और रिपोर्ट भारत सरकार (ईई ब्यूरो) को भिजवाने की आगे की कार्रवाई करेगा।

प्रबन्धन पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अलावा लेखापरीक्षक एक 'प्रबन्धन पत्र' तैयार करेगा जिसमें वह

- (क) लेखापरीक्षा के दौरान जिन लेखांकन रिकार्डों, प्रणालियों और आन्तरिक नियंत्रणों की जांच की गई है, उनके बारे में टिप्पणियां और अभिमत प्रस्तुत करेगा;
- (ख) प्रणालियों और आन्तरिक नियंत्रणों में विशिष्ट कमियों और दुर्बलता के क्षेत्र अभिज्ञात करेगा और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें करेगा;
- (ग) वित्तपोषी करार की वित्तीय प्रसंविदाओं में से प्रत्येक के अनुपालन की मात्रा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अनुपालन को प्रभावित करने वाले आन्तरिक और बाह्य पक्षों पर यदि कोई हों तो टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा;
- (घ) लेखापरीक्षा के दौरान जो बातें उसके ध्यान में आईं और जिनका कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, उनके बारे में सूचित करेगी; तथा
- (ङ) यदि लेखापरीक्षक किसी अन्य बात को महत्वपूर्ण मानता है तो उसे कार्यान्वयन एजेंसी के ध्यान में लाएगा।

प्रमुख कार्मिक

लेखापरीक्षा दल में प्रमुख कार्मिक, उनकी न्यूनतम अर्हताएं और अपेक्षित इन्पुट नीचे दिए गए हैं:

- (क) लेखापरीक्षा दल का नेतृत्व लेखापरीक्षा में कम से कम पांच वर्षों का अनुभवप्राप्त सनदी लेखाकार को करना चाहिए।
- (ख) लेखापरीक्षा दल में कार्य की मात्रा और अधिकार क्षेत्र के अनुरूप काफी संख्या में उपयुक्त स्टाफ (आर्टिकल्स/लेखापरीक्षा लिपिक तथा अन्य लेखापरीक्षा स्टाफ) शामिल होना चाहिए।

सामान्य

लेखापरीक्षक के लिए सभी कानूनी दस्तावेज, लेखा बहियां, अधिप्राप्ति दस्तावेज, पत्राचार तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित और लेखापरीक्षक द्वारा जरूरी समझी जाने वाली कोई भी अन्य जानकारी सुलभ होनी चाहिए।

.....को समाप्त वर्ष के लिए एसएसए के अधीन उपयोगिता प्रमाणपत्र

राज्य का नाम:

क्रम संख्या	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	राशि (रुपये)		
		एसएसए	एनपीईजीईएल	योग
	योग			

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष..... के लिए..... के पक्ष में मंजूर किए गए रु..... (रुपये) के सहायता अनुदान तथा अवधि के दौरान अर्जित ब्याज की राशि रु..... (रुपये) तथा पिछले वर्ष के अव्ययित बकाया के रु..... (रुपये) में से रु..... (रुपये) की राशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी और यह कि वर्ष के अन्त में रु.....(रुपये) की अव्ययित राशि अगले वर्ष..... में देय सहायता अनुदान के प्रति समायोजित कर दी जाएगी।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपनी तसल्ली कर ली है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूरी तरह पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए वह मंजूर की गई थी मैंने निम्न जांच की है:

की गई जांच की कोटियां

1. लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)
2. उपयोगिता प्रमाणपत्र
3. प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)
- 4.
- 5.

रबड़ की मोहर सहित
एसपीडी के हस्ताक्षर

तारीख

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदनुसार तैयार किया गया है।

सनदी लेखाकारी कम्पनी

तारीख

समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य:					
.....को समाप्त वर्ष:					
स्रोत तथा अनुप्रयोग					
		एसएसए	एनपीईजीईएल	योग	
अथ शेष					
	(क)	रोकड़ शेष			
	(ख)	रोकड़ बैंक में			
		योग			
	(क)	स्रोत (प्राप्ति)			
	(ख)	भारत सरकार से प्राप्त निधियां			
	(ग)	राज्य सरकार से प्राप्त निधियां			
	(घ)	ब्याज			
	(ङ.)	अन्य			
		योग			
		कुल प्राप्तियां			
		अनुप्रयोग (व्यय)	शेष बच रहे क्रियाकलापों सहित अनुमोदित एडव्ल्यूपीतथावी	किया गया खर्च	बचत
	(क)	अध्यापक का वेतन			
	(ख)	बीआरसी			
	(ग)	सीआरसी			
	(घ)	सिविल निर्माण कार्य			
	(ङ.)	ईजीएस/एआईई			
	(च)	मुफ्त पाठ्यपुस्तक			
	(छ)	नवाचारी क्रियाकलाप			
	(ज)	आईईडी			
	(ञ)	एनपीईजीईएल			
	(ट)	स्कूल रखरखाव अनुदान			
	(ठ)	प्रबंध लागत			
	(ड)	अनुसंधान और मूल्यांकन			
	(ढ)	स्कूल अनुदान			
	(ण)	अध्यापक अनुदान			
	(त)	टीएलई			
	(थ)	अध्यापक प्रशिक्षण			
	(द)	समुदाय प्रशिक्षण			
	(ध)	एसआईईएमएटी			
	(न)	राज्य घटक			
	(प)	अन्य			
		योग			
		अंतशेष			
	(क)	रोकड़ शेष			
	(ख)	रोकड़ बैंक में			
		योग			